न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1091–तीन/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–02–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–46/अपील/07–08

.....

वंशपती सिंह तनय श्री यज्ञभान सिंह (मृतक) वारिसान–
1–उदयप्रताप सिंह
2–रूद्रप्रताप सिंह, पुत्रगण स्व0 वंशपती सिंह
निवासी–ग्राम उचेहरा, तहसील मऊगंज, जिला–रीवा

———आवेदक

विरूद्ध

रामाधार तनय जमुना बाई,
निवासी–ग्राम उचेहरा, तहसील मऊगंज, जिला–रीवा

———अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/7/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 46/अपील/07–08 पारित आदेश दिनांक 25–02–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम उँचेहरा तहसील मऊगंज स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 195, कुल रकबा 1.91 एकड़ का जुज रकबा 0.36 एकड़ की भूमि का पट्टा प्रदान किये जाने बाबत् अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में भूमि वास दखलकार अधिनियम के तहत

का आवेदन दिया, जो अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 09–10–07 से अपील निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अपील न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के समक्ष पेश की गई, जो उनके यहाँ प्रकरण क्रमांक 46/अपील/2007–08 पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 25–02–2008 से अनावेदक की अपील स्वीकार की गई। उक्त आदेश दिनांक 25–02–2008 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत यह बताया है कि, प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 195 रकबता 1.91 एकड़ का जुज रकबा 195/3 रकबा 0.03 एकड़ भूमि अनावेदक को वासदखलकार अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है तो पुनः उसी भूमि का पट्टा वासस्थान दखलकार अधिनियम के तहत उसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जा सकता, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया। वास स्थान दखलकाल अधिनियम के अन्तर्गत अपर आयुक्त को सुनवाई की अधिकारिता नहीं थी फिर भी अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 25.02.2008 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के अभिषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक रामाधार द्वारा म0प्र0 वास स्थान दखलकाल अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 09–10–07 के द्वारा अनावेदक का आवेदन निरस्त किया। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील

प्रस्तुत की। म0प्र0 वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामरी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (उपखंड अधिकारी या कोई अन्य सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर) के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर को किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा, सिवाय इसके कि राजस्व मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर पुनरीक्षण में वैधता या उसके औचित्य के बारे में निर्णय लेने की अधिकारिता है। अधिनियम के प्रावधानानुसार अपर आयुक्त को इस प्रकरण में सुनवाई की अधिकारिता नहीं थी इसके बावजूद भी अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को न केवल सुनवाई कर बल्कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अधिकारितावहीन कार्यवाही की है, जिसके अधिनियम के प्रावधान अनुसार विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—02—2008 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत विधिअनुसार गुण—दोष के आधार पर आदेश पारित करें।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,